



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 3282/2026

Bhuvnesh Sharma S/o Shri Joharmal Alias Jormal Sharma, Aged About 37 Years, Resident Of Hanumanta, Police Station Kathumar, district Alwar, Rajasthan. (Presently Lodged In Sub Jail Gulabpura Dist. Bhilwara)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Gaurav Singh
For Respondent(s)	:	Mr. Urja Ram Kalbi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

25/03/2026

01. प्रार्थी-अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस., पुलिस थाना रायला जिला शाहपुरा में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 52/2024, अपराध अन्तर्गत धारा 328, 412, 414 भारतीय दण्ड संहिता के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।
02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।
03. प्रार्थी-अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में सहअभियुक्त देवेश कुमार, कमलेश कुमार, अरबाज, शाहरूख, गणेश की जमानत इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पूर्व में ली जा चुकी है। प्रार्थी-अभियुक्त का मामला सहअभियुक्तगण से अधिक गंभीर नहीं है। प्रकरण में चालान पेश होने के पश्चात चार्ज लगाए जा चुके हैं। इस मामले में विचारण में समय लगने की संभावना होना बताते हुए जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।
04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।
05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया। इस मामले में सहअभियुक्तगण की जमानत पूर्व में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा ली जा चुकी है।



06. इस स्टेज पर बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी-अभियुक्त **भुवनेश शर्मा पुत्र श्री जोहरमल उर्फ जोरमल शर्मा** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास-पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J